न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **09/10 (वाद)**

GCMS No. : 2010/00140

उनवान

1. श्री कालुराम पिता नारायणलाल मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली।
2. श्री विष्णु पिता प्रेमलाल नाबालिग बविलायत माता उदीबाई पत्नी प्रेमलाल मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर उर्फ लोगरिया पिता भूरा मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली। (तर्क किया)
2. श्रीमती उदीबाई पत्नी लोगर मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
3. श्री मोहनलाल पिता लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
4. श्री रतनलाल पिता लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
5. लक्ष्मीबाई पुत्री लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी संख्या 1
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादी संख्या 2
3. श्री रामलाल मेघवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
4. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.03.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 423, 430 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित हो हम वादीगण के दादाजी लोगरिया पिता भूरा के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 409, 410 किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या

2 से 5 के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 414, 414/1 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 उदीबाई के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 413, 558/413 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 उदीबाई के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 416 रकबा 2 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं।

2. यह कि हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सजरा खानदान निम्न है :–

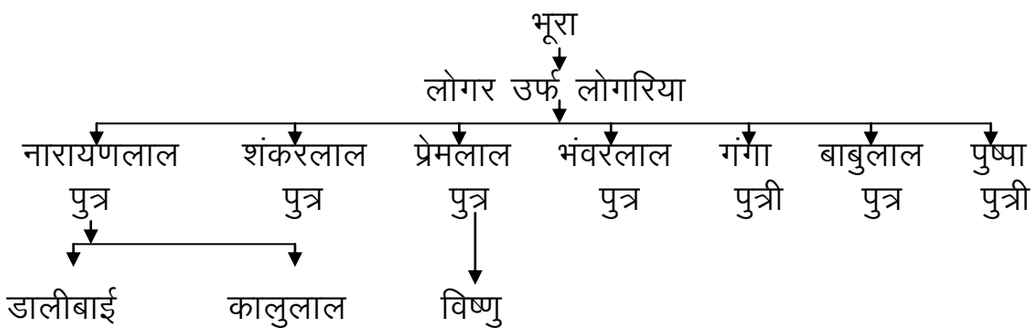

3. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति है और पूर्व में सम्वत् 2043 से 2046 की जमाबन्दी में हम वादीगण के दादाजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित है और हम वादीगण को जन्म से ही उक्त पैतृक भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने हम वादीगण को उक्त पैतृक भूमि में हमारे हिस्सा भूमि से हमें वंचित करने की नियत से उक्त वर्णित भूमि में आराजी नम्बर 414 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि एवं आराजी नम्बर 558/413 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं 413 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी एवं आराजी नम्बर 414 रकबा 3 बीघा भूमि को भी दिनांक 01.03.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी परन्तु कब्जा आज भी उक्त भूमियों पर हम वादीगण एवं हमारे परिवारजनों का लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा हैं एवं आराजी नम्बर 409 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा एवं 410 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को लोगरराम पिता किशना मेघवाल को विक्रय कर दी थी और लोगरराम पिता किशनलाल

मेघवाल का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम पर अंकित है जबकि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों पर कब्जा आज भी हम वादीगण व हमारे परिवारजनों का है क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक 70 वर्ष की आयु का होकर अत्यन्त वृद्ध है और लोगर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम एवं हिस्से की सम्पूर्ण भूमियों का बंटवारा अपने विधिक वारिसों में उक्त सजरा खानदान अनुसार कर दिया है और सभी परिवारजन अपने अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं।

4. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित भूमियां पैतृक सम्पति है और हम वादीगण को उक्त पैतृक सम्पति में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और हम वादीगण उक्त पैतृक भूमि में अपने हिस्से एवं कब्जे की भूमियों को अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम पर उक्त कृषि भूमियां राजस्व रेकार्ड में अंकित है परन्तु कब्जा आज भी हम वादीगण एवं हमारे परिवारजनों का चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 जबरन हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करना चाहते है और कब्जा करने पर उतारू है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ताफैसला वाद उक्त वर्णित पैतृक भूमियों में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न कब्जा करे और हम वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने एजेन्ट परिवारजन आदि से करावें।

5. यह कि वादीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है और हमें जन्म से ही उक्त भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि हम हमारे हिस्से की भूमि पर अपने परिवारजनों के साथ काबिज हो काश्त कर रहे है और यदि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 जबरन हमारे हिस्से की भूमियों पर कब्जा कर हमें बेदखल कर देंगे तो इससे जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है और स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को कोई क्षति नहीं होगी।

6. यह कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व वाद कारण दिनांक 25.06.2009 को उत्पन्न हुआ जब ये लोगर जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि में कब्जा करने पर उतारू हुए व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित पैतृक भूमियों में हम वादीगण के सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को हमारे नाम पर घोषित फरमाई जाकर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हमारे नाम पर अंकित फरमाई जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित पैतृक भूमियों में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न हमारे हिस्से की भूमियों में कब्जा करे और हमें शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम पूर्व में तर्क किया जा चुका हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 414 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि एवं आराजी नम्बर 558/413 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 413 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि को मुझ प्रतिवादी संख्या 2 उदीबाई ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2004 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं आराजी नम्बर 414 रकबा 3 बीघा भूमि को भी मुझ प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2004 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं आराजी नम्बर 416 रकबा 2 बीघा भूमि को भी मुझ प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि के खातेदार नाथू पिता गोविन्द से उसका 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1998 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं आराजी नम्बर 410 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को हम प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता लोगर पिता किशना जी मेघवाल ने रामा पिता धना मेघवाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1998 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और लोगर जी का स्वर्गवास हो जाने पर हम प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई और उक्त भूमि को

खरीदने के पश्चात् इसको उपजाऊ बनाने में एवं आराजी नम्बर 409 में 80 फीट गहरा कुआ खोदने के कार्य में करीबन चार लाख रूपया का खर्चा हो चुका है और उपरोक्त वर्णित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि को जब वादीगण का जन्म ही नहीं हुआ तभी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था और विवादित भूमि वादीगण के आधिपत्य अधिकार में कभी नहीं रही और न है ऐसी अवस्था में वादीगण का उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में इनके कब्जे काश्त में हैं।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के जन्म से पूर्व ही जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था और वर्तमान में भी हम प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के कब्जे काश्त में है उक्त भूमि पर वादीगण का कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा। इसलिए वादीगण उक्त भूमियों को अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का न तो वादगत भूमियों पर कभी कब्जा रहा है न ही वर्तमान में ही इनके कब्जे काश्त में है और वास्तविकता यह है कि उक्त वादगत भूमियों को प्रतिवादी ने वादीगण के जन्म से पूर्व ही जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था और हम प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार काश्तकार होकर हमारे कब्जे उपभोग में है इसलिए वादीगण कानूनन भी हम खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

9. यह कि वादीगण का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है क्योंकि उक्त वाद में वर्णित भूमियों में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के जन्म के पूर्व जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था, सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है क्योंकि उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात् हमने लाखों रूपये की लागत लगाकर एवं परिवार सहित श्रम कर आवादान की है कुंआ खुदवाया है और हमारे कब्जे काश्त में हैं। वादीगण का उक्त भूमियों पर कभी कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान में इनके कब्जे काश्त में है इसलिए अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी इनके पक्ष में नहीं है जब वादीगण का वादगत भूमियों पर आधिपत्य कभी भी नहीं रहा है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी भी नहीं है और न अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही की जा

सकती है अर्थात् कब्जे के अभाव में वादी का प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता है तथा सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है विवादित भूमि जहां लाखों रूपयों की लागत व कुंए का निर्माण हो चुका है जिससे सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में नहीं हैं। हम प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी तरह का कोई वाद हेतु ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के जन्म से पूर्व ही अपने हिस्से की भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था, इसी आधार पर वाद निरस्तनीय हैं। वादीगण का वाद मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

10. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति होकर वादीगण अपने हिस्से कब्जे अनुसार अपने नाम पर घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

       .....जिम्मे वादीगण

    2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

       ..... जिम्मे वादीगण

    3. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के जन्म से पूर्व ही क्रय कर ली एवं वर्तमान में भी प्रतिवादीगण ही कब्जे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

       ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

    4. अनुतोष।

11. उपरोक्त तनकीयात कायमी के पश्चात् प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडबल्यू–1 स्वयं वादी संख्या 2 विष्णु पिता प्रेमलाल का जरिये संरक्षक माता उदीबाई पत्नी प्रेमलाल मेघवाल पेश किया। गवाह पीडबल्यू–1 द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श 2, नकल सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 3, नकल सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 4 पेश किये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण

को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है कि :–

1. आया वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति होकर वादीगण अपने हिस्से कब्जे अनुसार अपने नाम पर घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में उनके द्वारा दर्शाये गए सजरे में भूरा को मूल पुरूष मानते है। इसके पूर्व का न तो कोई सजरा दिया गया है, न ही वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, इसका कोई भी वर्णन वादपत्र में किया गया है। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया जिससे यह जाहीर होता हो कि वादग्रस्त भूमि भूरा जी के नाम रही हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2043–46 पर कुछ वादग्रस्त भूमि अंकित है जो लोगरिया पिता भूरा के नाम दर्ज है। इससे पूर्व का रिकॉर्ड प्रदर्श 3 भू–प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक प्रस्तुत किया गया। जिसके कालम संख्या 23 अनुसार वादग्रस्त भूमि लोगरिया पिता भूरा एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 24 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पृथक पृथक दर्ज की गई। उक्त वादग्रस्त भूमि लोगरिया पिता भूरा के नाम किस आदेश से पृथक हुई इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। न्यायालय का मानना है कि सहखातेदारी की भूमि केवल मात्र विभाजन से ही पृथक हो सकती है। चूंकि सेटलमेंट विभाग के मिलान पत्रक के कॉलम संख्या 23 के अनुसार सहखातेदारी की भूमि है तथा कॉलम संख्या 24 में पृथक पृथक दर्ज की गई है ऐसे में सहखातेदारो द्वारा अवश्य ही वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाया होगा। इस प्रकार यह जाहीर हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

सहखातेदारी से पहले से ही दर्ज थी तथा विभाजन से पृथक दर्ज हुई है। इसके कारण वादग्रस्त भूमि को सहदायिकी की भूमि नही कहा जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादी को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि "**No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed.**" उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच. यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपति है या नही ? साथ ही मूल पुरूष गोदा जी को संपति कैसे प्राप्त हुई। मूल पुरूष गोदा जी की मृत्यु कब हुई ? ऐसा कोई भी तथ्य वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित नही किया गया है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2043–46 के अनुसार वादग्रस्त भूमि लोगरिया पिता भूरा अकेले के नाम दर्ज थी। लोगरिया पिता भूरा को वादग्रस्त भूमि किससे प्राप्त हुई इस संबंध में कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक के अनुसार अन्य सहखातेदार के नाम भी दर्ज थी जो कॉलम संख्या 24 के अनुसार पृथक पृथक दर्ज हुई। न्यायिक दृष्टांत 2008(2) आरएलडब्ल्यू (आरजे) पेज नम्बर 1115 अनुसार भूमियों का विभाजन होने के बाद वह संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं रहती है।

साथ ही यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में लोगर उर्फ लोगरिया के 7 वारिस बताए गए परन्तु लोगर उर्फ लोगरिया के किसी भी वारिस को वाद पत्र में पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के निधन के पश्चात अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन करते हुए नाम तर्क करा दिया की प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में रिकॉर्ड पर है। जबकि वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार वादग्रस्त भूमि लोगर पिता किशना मेघवाल को विक्रय करना बताया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 लोगर पिता किशना के वारिसान बताया है। अर्थात वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यो में भिन्नता है ऐसे में यह भी तय नही हो पा रहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 लोगर पिता भूरा के वारिस है या लोगर पिता किशना के वारिसान है। जिसे वादीगण द्वारा वाद में स्पष्ट भी नही करवाया गया। ना ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया, जिससे यह जाहीर होता हो की वादग्रस्त भूमि लोगर के पिता भूरा के नाम कभी रही हो। इससे जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा केवल मात्र क्रेतागण को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही कर तथ्यो को छुपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत का विवेचन किया जाना उचित हैः—

(Rajasthan High Court)
Smt. Pura
Versus
Lalki and Another

S.B. Civil Writ Petition No. 3698 of 1996, decided on 16th April, 1999

Constitution of India, Art. 226-Relief - The persons who do not come before the Court with clean hands are not entitle for any relief even if they have got a good case on merits Secondly there was an alternative and efficacious remedy available and he has availed it, this petition is re-quired to be dismissed. (Paras 9, 10 &12)

Writ petition dismissed..

उक्त न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जब वादीगण स्वच्छ हाथ लेकर न्यायालय में नही आता है तो भले ही गुणावगुण

पर उसका मामला उचित हो, उसे कोई अनुतोष नही मिलना चाहिए। इस प्रकरण में भी वादी द्वारा न्यायालय मे स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नही किया । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण तनकी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे। अर्थात वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार ही नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 क्रेता के वारिसान है। ऐसे में वादीगण क्रेता के वारिसान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करवा सकते है। क्रेता के वारिसान को अपने पिता की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के जन्म से पूर्व ही क्रय कर ली एवं वर्तमान में भी प्रतिवादीगण ही कब्जे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह जाहीर होता हो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के जन्म से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि को क्रय की गई हो। अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने का प्रयास ही नही किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध साबित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण के अनुसार तनकी संख्या 1, 2 को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण उक्त दोनो तनकी को साबित कराने में असफल रहे। ऐसे में वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विरूद्ध होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कालुराम पिता नारायणलाल मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली।
2. श्री विष्णु पिता प्रेमलाल नाबालिग बविलायत माता उदीबाई पत्नी प्रेमलाल मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर उर्फ लोगरिया पिता भूरा मेघवाल निवासी वांगरोदी, तहसील मावली। (तर्क किया)
2. श्रीमती उदीबाई पत्नी लोगर मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
3. श्री मोहनलाल पिता लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
4. श्री रतनलाल पिता लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
5. लक्ष्मीबाई पुत्री लोगरराम मेघवाल निवासी होली, तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 09/10 (वाद)

GCMS No. – 2010/00140

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विरूद्ध होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 05.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली